

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गैरसैण**

Phone No/ Fax No: 01363.278533

Mail: eecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 835 / 1 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक 10/07/2018.

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में मैहलचौरी बैण्ड से सिलंगना -- घनियाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.451 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 08 बी०/यू०सी०पी०/०६/२७६/२०१५/एफ०सी०/१८१५, दिनांक ०६/०२/२०१८.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अधिरोपित ५ शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

1. शर्त संख्या ०१ के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल ४५१ वृक्षों के क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख रखाव हेतु रू० ४,५१,०००.०० मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/ RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 6199040152 Date 03/07/2018 द्वारा यथासंशोधित धनराशि जमा कर दी गई है। भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।
2. शर्त संख्या ०२ के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३ / २००७-एफ०सी० दिनांक ०५/०२/२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० की धनराशि रू० ३,८१,०९५.०० मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 6199040152 Date 03/07/2018 द्वारा एन.पी.वी. की शुद्ध वर्तमान धनराशि जमा कर दी गई है। भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।
3. शर्त संख्या ०३ में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, जिसका की प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. शर्त संख्या ०४ अनुपालन में सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन बैंक में जामा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
5. शर्त संख्या ०५ में सड़क निर्माण के पश्चात दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस खण्ड द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantaiton कर ली जायेगी। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे मार्ग में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पत्रांक 835 / 1 एल.ए. तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, ७वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

(इ० एम०पी०एस०रावत)

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

गैरसैण

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

गैरसैण

AGENCY COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 02-04-2018

Agency Name	PWD CD GAIRSAIN
Application No.	6199040152
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/276/2015/FC
Location	UTTARANCHAL
Address	Construction Division PWD Gairsain Chamoli
Amount(in Rs)	832095/-

Amount in Words: Eight Lakh Thirty Two Thousand and Ninety Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896199040152 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days

After making successful payment, User Agencies may s
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Print

88102520180703000 99018

पलमोना - धनियानी मोरुना

छाया प्रति प्रमाणित


[Signature]
Assistant Engineer
Construction Division
W.D Gairsain


प्रारूप-51


परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मेहलचौरी मोड़ से सिलंगना-
घनियाली मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 1.500 किमी०।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का
प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम
न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती
है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया
जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


अभिधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

छाया प्राप्त प्रमाणित


Assistant Engineer
Construction Division
W.D. Gairsain

Government Of Uttarakhand
Office Of the District Collector : Chamoli

Dated... 02/12/2014

No.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry Of Environment and forest (MOEF) , Government of India's letter No - 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short)on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.581 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of P W D Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of MehalChori Band to Shilanga-Ganiyal Motor Road 1.5 Km Under P W D Gairsain (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Gairsain Tehsils .

It is further certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.581 hect of civil area proposed for diversion .A copy of records of all consultations and meetings of the forest Right Committees ,Gram Sabha(s) sub-Division Level committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers . there is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file .
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities .	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Construction Division
P W D Gairsain

Signature 2/12/14
(S.A. Murugesan, District Magistrate Chamoli)

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1**(for linear projects)****Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli**

No-----

Dated-----30/01/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.451** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D** (name of user agency) for **Construction Of Mehalchauri bend to Silangana Ghaniyali M/R** (purpose for diversion of forest land) in **Chamoli** district falls within jurisdiction of **Silangana** village (s) in **Gairsain** tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.451** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

FORM-II**(for projects other than linear projects)****Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli**

To ---

Dated 30/01/15

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.451 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD (name of user agency) for Mehalchauri bend to Silangana Ghaniyali (purpose for diversion of forest land) in Chamoli district falls within jurisdiction of Silangana village in Gairsain tehsil.

is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.451 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Silangana village is enclosed.
- the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

ठाया प्रति प्रमाणित


Assistant Engineer
Construction Division
W D Gairsain

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Chamoli** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ashok Kumar District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on Gopeshwar At 3:15 at Chamoli in which application claiming rights in **Gairsain** area measuring **0.451** hect for the construction of b **Mehalchauri bend to Silangana Ghaniyali M/R** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Silangana Ghaniyali** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.....

Dated:.....

Ino Dush
R.S.G. - Mehalchauri

[Signature]
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

ठाया प्रति प्रमाणित

[Signature]
Assistant Engineer
Construction Division
WD Cairtain

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय जन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद-.....

Assistant Engineer
Construction Division
W D Gairsain

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के अन्तर्गत मेंदलचौरी मोड़ से सिलगना घनिपाली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिलगना
तहसील गोरसैब जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र


जिला चमोली उत्तराखण्ड में सिलगना - घनिपाली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.45 हे० सिविल सोयम भूमि 2.3 हे० वन पंचायत भूमि 0 हे०) अर्थात् कुल 2.75 हे० वन भूमि का निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिलगना द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिलगना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Construction Division
W D Gairsain


दिनांक को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:

[illegible]


छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Construction Division
W.D. Gairsain



अनपत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग (मैहलचौरी मोड से ग्राम सिलंगाना के धनियाली गांव तक 1.5 किमी मोटर मार्ग) के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।



भवदीय

[Signature]

नाम- श्री. रजिंदर सिंह शोहरी

पुत्र स्व. श्री. गणेश सिंह

ग्राम- सिलंगाना

पो. मैहलचौरी की गैरसेज-चमोली

क्रास सेक्शन..... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री
पुत्र श्री ग्राम पट्टदोरी वृत्त जिला

के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।-

क्र.सं.	आवा/राजस्व नम्बर	भूमि है०
	2436	0.033 ई०

नि

० नि० वि०

रिजि

डाक्टर अभियन्ता

लो० नि० वि०


जे० रेंज

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain

ह०- राजस्व उप निरीक्षक

[Signature]
श्री० छ० नि० - साईधान

[Signature]
जिला- चमोली




ठाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain

[Signature]
जिला- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग (मैहलचौरी मोड से ग्राम सिलंगाना के धनियाली गांव तक 1.5 किमी मोटर मार्ग) के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।



भवदीय

दि २२/१२/१६
नाम- श्री दखन सिंह
पु. स्व. दौलत सिंह
ग्राम- सिलंगाना
पो. मैहलचौरी ज. गैरसैन
चमोली

कास सेक्शन..... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकार श्री
पुत्र श्री ग्राम पट्टवारी वृत्त जिला

के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।-

क्र.सं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
1	1047 म०	0.0255 ई
	1047 म०	0.020 ई०
	1048 म०	0.022 ई०

गिन
नि० वि०
गैरसैन

अवर अभियन्ता
लो० नि० वि०
गैरसैन

सहायक अभियन्ता
Construction Division
लो० नि० वि०
गैरसैन

आधिशासी अभियन्ता
लो० नि० वि०
गैरसैन

ह०- राजस्व उप निरीक्षक

म. प्र. +
० डी० नि० - माईथान

म. प्र. (चमोली)

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Construction Division
W.D Gairsain

22/12/16

समझौता ज्ञापन (प्रकृ. 48)

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसैण (कार्यदायी

04-
107

08

09

0

तथा
दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि गैरसैण- मैहलचौरी मोड से संलग्ना घनियाली
मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2015 के 11 महीने की 10 तारीख को निष्पादित किया गया है।

ह सहमति हो गयी है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
ह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/ मक डिस्पोजल हेतु जायी जानी है।
वर्तमान सवीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य
स विभाग के नाम किया जायेगा।
यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर
कासी होगा।

उसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम
जखित तारीख, माह वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

नाम भूमिधर

पिता का नाम

हस्ताक्षर

1- इं० के०सी०आर्या
नाम- अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसैण

- | | |
|-------------------|------------|
| 1- राजेन्द्र सिंह | उमालम सिंह |
| 2- दशरथ सिंह | दोराज सिंह |
| 3- | |
| 4- | |
| 5- | |


दशरथ सिंह

राजेश्वर सिंह

(मोहर)

(मोहर)

3/11/15



छाया प्रति प्रमाणित


Assistant Engineer
Construction Division
W.D Gairsain


प्रारूप-34


परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मेहलचौरी मोड़ से सिलंगना-घनियाली मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 1.500 किमी०।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

आया प्राप्त प्रमाणित



Assistant Engineer
Construction Division
W.D. Gairsain


प्रारूप-23


परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मेहलचौरी मोड़ से
सिलंगना- घनियाली मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 1.500 किमी०।


प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय
वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से
आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


सहायक अभियन्ता
Construction Division
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


अधिसूची अभियन्ता
Construction Division
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


उप वनाधिकारी लो०
गैरसैण, चमोली।


प्रभागीय वनाधिकारी
गैरसैण, चमोली।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
गैरसैण, चमोली।

जाया प्रति प्रमाणित



Assistant Engineer
Construction Division
W.D Gairsain


प्रारूप-39


परियोजना का नाम— जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मेहलचौरी मोड़ से सिलंगना-
घनियाली मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 1.500 किमी०।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के
दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का
तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


छाया प्रति प्रमाणित



Assistant Engineer
Construction Division
W.D Gairsain

“Central Verge का प्रमाण – पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां – जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख – रेख में strip plantation किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैंण


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैंण


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैंण